ल नं. ....

..............................उनवान..............................बनाम..............................

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
17/8/21	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी, प्रतिवादी क्रम 1 ता 11 व 15 की तलबी हेतु रजि० तलबाना समन पेश किये। बाद तलबी दिनांक 29/10/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बाराँ	
29/10/21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी प्रतिवादी क्रम 1 ता 11 व 15 की तलबी हेतु रजि० तलबाना समन पेश किये। बाद तलबी दिनांक 16/12/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बाराँ	
16.12.21	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित नहीं है वकील वादी व स्वयं वादी को बाद आवाज लगाये गये बावजूद इन्तजार के न्यायालय के उठने तक नहीं हो कर: वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल [illegible] होकर बाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बाराँ	

Scanned with CamScanner

निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 173/2018
दायरा दिनांक :— 15.10.2018
निर्णय दिनांक :— 17.12.2021

उनवान

1. देवकी नंदन गौड पुत्र बाबूलाल जाति खाती नि. बामला तहसील बारां जिला बारां।

बनाम

1. प्रभूलाल पुत्र श्रीलाल जाति काछी निवासी सुसावन तहसील बारां
2. श्रीमती उमा पत्नी सत्यनारायण जाति गोस्वामी निवासी शाहबाद रोड बारां तह. बारां।
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110,111,116 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक :- 17.12.2021

अभिभाषक उपस्थित :—1. श्री राजेन्द्र सुमन एडवोकेट — वादी
2 श्री निर्भय सिंह एडवोकेट — प्रतिवादी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110,111,116 एल. आर. एक्ट विरूद्व अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल सुसावन पटवार हल्का बारां तहसील बारां में आराजियात ख.नं. 542 की रकबा 1.82 हैत्र स्थित थी। जो पूर्व में प्रतिवादी कमांक 1 प्रभूलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। प्रतिवादी कमांक 1 द्वारा उक्त वर्णित आराजी ख.नं. 542 की रकबा 1.82 है. में से 0.68 है. दक्षिणी आराजी को प्रतिवादी कमांक 2 को जरिए रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 16.04.2007 को बेचान किया था। उक्त रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर प्रतिवादी कमांक 2 के नाम इंतकाल दर्ज करते हुए बटा ख.नं. 974/542 रकबा 0.68 है. दक्षिणी आराजी पर राजस्व रिकार्ड में बहैसियत खातेदार दर्ज कर दिया था। इसी अनुसार प्रतिवादी कमांक 2 दक्षिणी हिस्से पर काबिज है तथा इसी प्रकार प्रतिवादी कमांक 1 द्वारा उक्त वर्णित आराजी खसरा नं. 542 की रकबा 0.98 है. में से 0.34 है. पश्चिमी आराजी को वादी को जरिए रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 11.12.2015 को बैचान किया था तथा उक्त रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर वादी के नाम इंतकाल दर्ज करते हुए बटा ख.नं. 1037/542 रकबा 0.34 है. पश्चिमी आराजी पर राजस्व रिकार्ड में बहैसियत खातेदार दर्ज कर दिया था। इसी अनुसार वादी पश्चिमी हिस्से पर काबिज है प्रतिवादी कम 1 की शेष आराजी में होकर रोड निकल गया है। वादी व प्रतिवादी कमांक 2 के द्वारा प्रतिवादी कमांक 1 से खरीद की गयी आराजियात का नक्शा ट्रेस तरमीम करते समय प्रतिवादी कमांक 3 के अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा विकय पत्रों की अनदेखी करते हुए गलत नक्शा तरमीम कर नक्शे में उत्तर से दक्षिण लाइन डिमार्ककेशन गलत दर्ज कर दिया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

जबकि विक्रय पत्रों के आधार पर उक्त आराजियात का नक्शा पूर्व से पश्चिम में लाईनिंग डिमार्ककेशन दर्ज किया जाना चाहिए था।

वादी उक्त वर्णित कयशुदा आराजियात ख.नं. 1037/542 रकबा 0.34 है. के नक्शे में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नक्शा ट्रेस में सही लाईन दर्ज करवाने का अधिकारी एवं नालिसी है। क्योकि प्रतिवादी कमांक 2 भी कयशुदा भूमि ख.नं. 974/542 रकबा 0.68 है. दक्षिणी हिस्से पर काबिज है। नक्शा ट्रेस में उत्तर से दक्षिण लाईन के स्थान पर पूर्व से पश्चिम लाईन डालकर नक्शे में तरमीम किया जाना न्यायहित में आवश्यक है क्योकि दसी अनुसार वादी व प्रतिवादी कमांक 2 काबिज है। वादी द्वारा नक्शा दुरूस्त करने हेतु प्रतिवादी कमांक 3 व उसके अधिनस्थ कर्मचारियों से निवेदन किया किन्तु वादी के निवेदन पर कोई ध्यान नही दिया गया तथा दिनांक 01.10.2018 को नक्शा दुरूस्त करने से स्पष्ट मना कर दिया इसलिए वाद कारण दिनांक 01.10.2018 को अंतिम बार उत्पन्न हुआ तथा वर्तमान में भी पैदा हो रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी कम 1 व 2 की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल विक्रय पत्र दिनांक 11.12.2015, नकल जमाबंदी ग्राम सुसावन सम्वत 2071–74 खाता सं. 322 नकल नक्शा ट्रेस, नकल नामांतकरण संख्या 648 ग्राम सुसावन, नकल नक्शा ट्रेस, नकल विक्रय पत्र दिनांक 16.04.2007 पेश किया गया। तहसीलदार बारां से रिपोर्ट ली गयी।

बहस अभिभाषक उपभयपक्षकारान सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। बहस के दौरान वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम सुसावन तहसील बारां में स्थित है। ख.नं. 542 रकबा 1.82 है. भूमि पूर्व में अप्रार्थी कम 1 खातेदारी में थी। अप्रार्थी कम 1 प्रभूलाल द्वारा ख.नं. 542 रकबा 1.82 है. में से 0.68 है. भूमि दक्षिणी दिशा को अप्रार्थी कम 2 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.04.2007 को बेचान कर दिया था। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतकरण दर्ज करते हुए बटा ख.नं. 974/542 रकबा 0.68 है. दक्षिणी आराजी पर खातेदार दर्ज कर दिया। अप्रार्थी कम 1 द्वारा शेष खसरा नं. 542 रकबा 0.98 है. आराजी में से 0.34 है. भूमि पश्चिमी तरफ का प्रार्थीया को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.12.2015 को बेचान कर दिया था। उक्त विक्रयशुदा आराजी का नक्शा में तरमीम करते समय गलत तरमीम कर नक्शे में उत्तर से दक्षिण लाईन डिमार्केशन गलत दर्ज कर दिया। जबकि विक्रय पत्रों के आधार पर आराजी का नक्शा में पूर्व से पश्चिम में लाईन डिमार्केशन किया जाना चाहिए था। प्रार्थी उक्त तरमीम को दुरूस्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नक्शा ट्रेस में पूर्व से पश्चिम में लाईन डिमार्केशन किया जावें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी कम 1 द्वारा इकवाली जवाब पेश कर नक्शा दुरूस्त करने में कोई आपत्ति नही होना बताया है तथा अप्रार्थी कम 2 द्वारा ही इकवाली जवाब पेश कर नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम को दुरूस्त करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति होना स्वीकार किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.04.2007 के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रतिवादी कम 2 को बेचान किया गया था। नकल विकय पत्र दिनांक 11.12.2015 के अनुसार अप्रार्थी कम 1 द्वारा प्रार्थी को जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र से 0.34 है. भूमि का बेचान किया था। भूमि का विकय पत्र के आधार पर नक्शा ट्रेस में तरमीम नही किया गया। गलत कर दी गयी। जिसे दुरूस्त कराना चाहते है। अप्रार्थी कम 1 व 2 द्वारा इकवाली जवाब प्रस्तुत कर नक्शा में सही तरमीम करने में कोई आपत्ति नही होना बताया है। तहसीलदार बारां से उक्त भूमि के संबंध में रिपोर्ट ली गयी। जिसमें तहसीलदार बारां ने बताया कि ग्राम सुसावन में आराजी ख.नं. 542 रकबा 1.82 है. दिनांक 16.04.2007 से पूर्व खातेदार प्रभूलाल पुत्र श्रीलाल काछी के नाम खाते में दर्ज थी। खातेदार प्रभूलाल द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 16.04.2007 से ख.नं. 542 रकबा 1.82 है. में से 0.68 है. दक्षिणी भूमि उमा पत्नी सत्यनारायण गोस्वामी को बेचान की गयी। दिनांक 20.07.2010 को खातेदार प्रभूलाल द्वारा ख.नं. 542 रकबा 1.14 है. में से 0.16 है. उत्तर पूर्व की भूमि जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र बालमुकंद पुत्र गिरधर किराड को बेचान की गयी तथा बालमुकंद द्वारा उक्त भूमि दिनांक 03.08.2008 को जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र से अल्का पत्नी सुधीन्द्र कुमार महाजन को बेचान कर दी गयी। खातेदार प्रभूलाल द्वारा ख.नं. 542 रकबा 0.98 है. में से 0.34 है. पश्चिमी तरफ रोड नेशनल हाईवे 27 छोडने के बाद जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र देवकीनंदन गोड पुत्र बाबूलाल खाती बामला को बेचान की गयी। ख.नं. 542 की शेष भूमि 0.64 है. नेशनल हाईवे में चली गयी। जिसका वर्तमान रिकार्ड में अमल नही हुआ है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में केता उमा पत्नी सत्यनारायण, ख.नं. 542 रकबा 0.68 है. के नए ख.नं. 974/542 व अल्का पत्नी सुधीन्द्र कुमार की 542 रकबा 0.16 है. के नए ख.नं. 973/542 तथा देवकीनंदन पुत्र बाबूलाल की भूमि ख.नं. 542 रकबा 0.34 है. के नए ख.नं. 1037/542 व मूल खातेदार प्रभूलाल की भूमि जो नेशनल हाईवे 27 में चली गयी है के ख.नं. 542 दर्ज किए गए है। इस प्रकार सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड व मौका स्थिति का अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान नक्शे में तरमीम गलत की हुई है। जिसे वर्तमान स्थिति अनुसार सही किया जाना उचित होना बताया है। मोके पर काश्तकार अपने अपने रकबे के अनुसार कब्जा काश्त करना बताया है। खातेदारों के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद नही है। प्रस्तुत रिकार्ड व तहसीलदार बारां की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि की मौके पर कब्जे अनुसार व कय की गयी भूमि अनुसार तरमीम नही हो रही है। जिसे दुरूस्त करवाना चाहते है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम सुसावन तहसील बारां के ख.नं. 1037/542 रकबा 0.34 है. ख.नं. 974/542 रकबा 0.68 है. भूमि राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में उत्तर से दक्षिण अंकित गलत लाईन डिमार्केशन को हटाकर दोनो भूमियों के मध्य नक्शा ट्रेस में पूर्व से पश्चिम में लाईन डिमार्केशन करने के आदेश तहसीलदार बारां को दिए जाते है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

Scanned with CamScanner